

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

// विविध आदेश //

क्रमांक- 59 /तीन-16-1/2005

हरदा दिनांक 11/06/2024

कार्यालय आदेश क्रमांक 51 दिनांक 31.05.2024 के अनुसार तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण ग्रीष्मावकाश पर हैं। कम्प्यूटर अनुभाग के विविध आदेश क्रमांक-236 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार आपराधिक प्रकरणों में आदेशिकाएं सी0आई0एस0 के माध्यम से अभियुक्त तथा साक्षियों का विवरण सही प्रविष्टि कर जारी किये जाने का आदेश है, अतः उक्त आदेश के परिपालनार्थ निम्नानुसार कर्मचारियों की डियूटी लगायी जाती है :-

क्रं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	डियूटी अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री अरुण सोनी,	प्रस्तुतकार	दिनांक 11.06.2024 से दिनांक 14.06.2024 तक	
2.	श्रीमति गुड़िया गोदानी,	प्रस्तुतकार	दिनांक 18.06.2024 से दिनांक 28.06.2024 तक	
3.	श्रीमति कल्पना सोनी,	प्रस्तुतकार	दिनांक 11.06.2024 से 28.06.2024 तक	
4.	श्री संजय खातरकर,	प्रस्तुतकार	दिनांक 18.06.2024 से दिनांक 28.06.2024 तक	
5.	श्री पंकज राय,	प्रस्तुतकार	दिनांक 11.06.2024 से दिनांक 14.06.2024 तक	
6.	श्री बलवंतसिंह अहिरवार,	स्टेनोग्राफर	दिनांक 18.06.2024 से दिनांक 28.06.2024 तक	
7.	श्री विश्वनाथ गाडेश्वर,	साक्ष्य लेखक	दि 18.06.2024 से दि 28.06.2024 तक	
8.	श्री मुकेश श्रीवास,	स्टेनोग्राफर	दि 18.06.2024 से दि 28.06.2024 तक	
9.	श्री विकेश कुमार,	सहा.अभि.	दि 24.06.2024 से दि 28.06.2024 तक	
10.	श्री महेश ब्यालसे,	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	दि 24.06.2024 से दि 28.06.2024 तक	
11.	श्रीमति देवश्री पाटिल,	स्टेनोग्राफर	दि 24.06.2024 से दि 28.06.2024 तक	
12.	श्री अरुण हरणे,	प्रस्तुतकार	दि 18.06.2024 से दि 28.06.2024 तक	
13.	श्री जाहिद खान,	साक्ष्य लेखक	दि 11.06.2024 से दि 14.06.2024 तक	
14.	श्री प्रवीण जवादे,	प्रस्तुतकार	दि 18.06.2024 से दि 28.06.2024 तक	
15.	श्री राजेश शर्मा,	साक्ष्य लेखक	दि 11.06.2024 से दि 14.06.2024 तक	
16.	श्रीमति बेनू पुनासे,	प्रस्तुतकार	दि 18.06.2024 से दि 28.06.2024 तक	
17.	श्री संतोष काकडे,	साक्ष्य लेखक	दि 25.06.2024 से दि 28.06.2024 तक	
18.	श्री विवेक पटेल,	साक्ष्य लेखक	दि 25.06.2024 से दि 28.06.2024 तक	
19.	श्रीमति निकिता पंद्राम,	साक्ष्य लेखक	दि 24.06.2024 से दि 28.06.2024 तक	
20.	श्री विनोद यादव,	साक्ष्य लेखक	दि 11.06.2024 से दि 14.06.2024 तक	


कं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	ड्यूटी अवधि	अभ्युक्ति
21	श्री पंचम सिंह उइके,	निष्पादक/प्रस्तुत कार	दि० 11.06.2024 से दि 14.06.2024 तक	
22	श्री अनुराग गहलोत,	साक्ष्य लेखक	दिनांक 11.06.2024 से 14.06.2024 तक	
23	श्री विष्णु प्रसाद साहू,	सहा.ग्रेड-3	दि० 18.06.2024 से दि 28.06.2024 तक	
24	श्री अशोक उपाध्याय,	सहा.ग्रेड-3	दि० 18.06.2024 से दि 28.06.2024 तक	
25	सुश्री भावना गौर,	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	दिनांक 18.06.2024 से दिनांक 28.06.2024 तक	
26	श्री विजय कुल्हारे,	साक्ष्य लेखक	दिनांक 10.06.2024 से दिनांक 14.06.2024 तक (आवक-जावक)	
27	श्री आशीष मवासे,	अतिरिक्त साक्ष्य लेखक	दिनांक 11.06.2024 से दिनांक 14.06.2024 तक	
28	श्री विकास अल्डक,	अतिरिक्त साक्ष्य लेखक	दिनांक 18.06.2024 से दिनांक 28.06.2024	
29	श्री सोनू सोनी,	अतिरिक्त साक्ष्य लेखक	दिनांक 11.06.2024 से दिनांक 14.06.2024 तक	
30	श्रीमति माधुरी पालीवाल,	साक्ष्य लेखक	दिनांक 24.06.2024 से दिनांक 28.06.2024 तक	
31	श्री प्रकाश दान्दडे,	साक्ष्य लेखक	दिनांक 18.06.2024 से दिनांक 22.06.2024 तक	
32	श्री आशीष गहलोत,	प्रस्तुतकार	दिनांक 24.06.2024 से दिनांक 28.06.2024 तक	
33	श्री गगन जावलकर,	साक्ष्य लेखक	दिनांक 24.06.2024 से दिनांक 28.06.2024 तक	
34	श्री अभिषेक मेहरा,	स्टेनोग्राफर ग्रेड-03	दिनांक 24.06.2024 से दिनांक 28.06.2024 तक	
35	श्री हरकिशन सोलंकी,	प्रस्तुतकार	दिनांक 11.06.2024 से दिनांक 28.06.2024 तक	
36	श्री शैलेंद्रसिंह सिसोदिया,	प्रोसेस सर्वर	दिनांक 11.06.2024 से दिनांक 28.06.2024 तक	
37	सुश्री रिनु मंडलोई,	अतिरिक्त साक्ष्य लेखक	दिनांक 18.06.2024 से दिनांक 28.06.2024 तक	

शर्त :-

आवश्यकतानुसार संबंधित पीठासीन अधिकारी संबंधित कर्मचारी को न्यायालय कार्य हेतु आहुत कर सकेंगे।

1. उपरोक्तानुसार समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में अपने-अपने मोबाईल चालू रखेंगे और कार्यालय/न्यायालय से सूचना प्राप्त होने पर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होंगे। किसी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, रजिस्ट्रार अथवा सिस्टम ऑफिसर से संपर्क करेंगे।
2. कर्मचारीगण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके पद का कार्य किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

3. निष्पादन लिपिक भी अपनी नस्तियां बढ़ाने के उपरांत सी0आई0एस0 की प्रविष्टि करेंगे, और सूचना पीठासीन अधिकारी से सत्यापित कर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
4. जिन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर नहीं हैं, उन न्यायालयों के प्रस्तुतकार उनके न्यायालय में उपरोक्त प्रविष्टियां आपराधिक प्रकरणों में करेंगे। अन्य न्यायालयों के सभी कर्मचारी उनके न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की प्रविष्टियां करेंगे।
5. प्रत्येक कर्मचारी प्रतिदिन की की गई प्रविष्टियों को अपने द्वारा संधारित डायरी में उल्लेखित करेंगे, और अपेक्षा किये जाने पर ऐसी डायरी सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।


  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
 जिला-हरदा

पृ0क0 719 /तीन-16-1/2005

हरदा दिनांक 11.06.2024

**प्रतिलिपि-यथानिर्देशानुसार :-**

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, (कम्प्यूटर प्रभारी) न्यायिक जिला स्थापना हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी नजारत/कार्यालय अनुभाग हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रशासनिक/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय हरदा की ओर माननीय महोदय के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. सिस्टम ऑफिसर/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को ई-मेल व वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से आदेश प्रति प्रेषित की जावे एवं आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड की जावे।
6. लेखापाल कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
 कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
 जिला-हरदा